भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *246

जिसका उत्तर 08.08.2024 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों पर अधोगामी पुल और उपरिपुल

*246. श्री कीर्ति आजाद:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दस वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्मित यात्री अधोगामी पुलों और उपरिपुलों की संख्या का पश्चिम बंगाल सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत दस वर्षों के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा यात्री अधोगामी पुलों और उपरिपुलों के निर्माण के लिए उपयोग की गई धनराशि का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उक्त किसी परियोजना के निर्माण में विलंब हो रहा है और निर्धारित समय पर प्रगति नहीं हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

'राष्ट्रीय राजमार्गों पर अधोगामी पुल और उपरिपुल' के संबंध में श्री कीर्ति आजाद द्वारा पूछे गए दिनांक 08.08.2024 के लोक सभा के तारांकित प्रश्न संख्या *246 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख) विगत दस वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल सहित राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) पर निर्मित वाहनों/पैदल यात्रियों के लिए अधोगामी (अंडरपास) और वाहनों के लिए उपरिपुल (ओवरपास) की राज्य-वार संख्या **अनुबंध** में दी गई है। आमतौर पर वाहनों/पैदल यात्रियों के लिए अंडरपास और वाहनों के लिए ओवरपास राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के भाग के रूप में निर्मित किए जाते हैं, जिसमें सुधार और उन्नयन कार्य शामिल है। इसलिए वाहनों/पैदल यात्रियों के लिए अंडरपास और वाहनों के लिए ओवरपास के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली निधियों को अलग से नहीं रखा जाता है।

(ग) कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं विभिन्न कारणों से विलंबित हैं, जिनमें भूमि अधिग्रहण में देरी, वन मंजूरी, वन्यजीव मंजूरी, जन-उपयोगी सुविधाओं का स्थानांतरण, रेलवे से अनुमोदन, नकद राशि की समस्या सहित ठेकेदार/रियायतग्राही की ओर से देरी आदि मुद्दे शामिल हैं। सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की ध्यानपूर्वक निगरानी कर रही है। मंत्रालय ने सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं मुद्दों का समाधान करने और उनकी प्रगति में तेजी लाने के लिए विभिन्न स्तरों पर समय-समय पर समीक्षा करने सहित कई कदम उठाए हैं।

अनुबंध

'राष्ट्रीय राजमार्गों पर अधोगामी पुल और उपरिपुल' के संबंध में श्री कीर्ति आजाद द्वारा पूछे गए दिनांक 08.08.2024 के लोक सभा के तारांकित प्रश्न संख्या *246 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

राज्य	अंडरपास की संख्या (वाहन एवं पैदल यात्रियों के लिए अंडरपास)	ओवरपास की संख्या
आंध्र प्रदेश	433	53
अरुणाचल प्रदेश	1	0
असम	50	14
बिहार	382	25
छत्तीसगढ	110	16
दिल्ली	2409	190
गोवा	36	6
गुजरात	759	69
हरियाणा	330	71
हिमाचल प्रदेश	16	5
जम्मू और कश्मीर	53	10
झारखंड	132	4
कर्नाटक	466	64
केरल	96	11
मध्य प्रदेश	677	117
महाराष्ट्र	1077	109
मणिपुर	1	0
नगालैंड	4	0
ओडिशा	285	38
पुदुचेरी	8	1
पंजाब	284	69
राजस्थान	1216	97
तमिलनाडु	442	93
तेलंगाना	234	18
त्रिपुरा	3	0
उत्तर प्रदेश	688	90
उत्तराखंड	60	14
पश्चिम बंगाल	192	24

*****